E.D.S

Propasal NO.FP/UP/INV/23246@2016

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांकःसा0– 5061 / मी0क्षे0 / 33 / दिनांक, मीरजापुर,अप्रैल 30 2018 ।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा ।

विषय– मैं0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम –कोटा में जे0 पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासी क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे0 का वन भूमि हस्तान्तरण एवं उनमें सम्भावित 5713 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भ– आपका पत्रांक 3644/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 23.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण की प्रस्ताव 04 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है । प्रेषित प्रस्ताव में निम्न कमियाँ/अभिलेख परिलक्षित है ।

1. प्रस्ताव में संलग्नक अभिलेख सही कम में नहीं लगे हैं ।
2. प्रस्ताव में वनाधिकार अधिनियम–2006 की जिला स्तरीय एवं उप जिला स्तरीय की कार्यवाही की अभिलेख संलग्न नहीं है
3. प्रस्ताव में सलग्न गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चिन्हित व प्रमाणित नहीं है ।
4. प्रस्ताव में मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण तथा Reclamation-Plan संलग्न नहीं है ।
5. प्रस्ताव में Eco Class के अनुसार NPV की गणना नहीं की गयी है ।
6. प्रस्ताव में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है ।
7. प्रस्तावित वन भूमि का जीवो रिफरेस्ड डिजिटल मैप जो के0एम0एल0 शेप फाइल में हो की सी0 डी0 संलग्न नहीं है ।
8. क्षतिपूरक वनीकरण का जीवा रिफरेस्ड डीजिटल मैप जो के0एम0एल0 शेप फाइल में ही की सी0डी0 संलग्न नहीं है ।
9. यदि भूमि लीज पर दी जानी हो तो लीज की अवधि प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वन भूमि का मूल्य, लीज रेन्ट व प्रीमियम का निर्धारण ऑकलन संलग्न नहीं है
10. प्रस्ताव में संलग्नक पृष्ठ संख्या 202 पर खतौनी संबंधित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है ।
11. प्रश्नगत परियोजना में कुल 5713 वृक्ष प्रभावित पृष्ठ सं0 48 पर उल्लेख है जबकि पृष्ठ संख्या 49 से 163 तक सूची के अनुसार 5715 वृक्ष योग करने पर आ रहा है, स्पष्ट करें।
12. भारत सरकार को प्रेषित की जाने वाली प्रस्ताव की प्रति भारत सरकार के पत्रांक 11–360/2010–एफसी दिनांक 17.11.2016 जिसकी छाया प्रति संलग्न है के अनुसार प्रेषित की जाय । छाया प्रति मान्य नहीं है।
13. सम्बन्धित परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित भारत सरकार के पत्रांक एफ0नं0 7–69/2011–एफसी (पीटी) दिनांक 01.08.2017 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार सुनिश्चित की जाय । (पत्र की छाया प्रति संलग्न है)
14. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 39 पर उल्लिखित गाटा संख्या 933क है जबकि पृष्ठ संख्या 180 पर संलग्नक धारा–20 की गजट में 933 है । इसी प्रकार गाटा संख्या 3202 में 12.850 हे0 एवं गजट में 3202 में 14.350 हे0 उल्लेख हे । अन्तर का कारण स्पष्ट की जाय । FRA - 2006 ग्राम सभा कोटा व पडरछ की भी कार्यवाही संलग्न की जाय।

अतः उपरोक्त कमियों/अभिलेखों के निराकरण हेतु प्रस्ताव मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीं है ।

संलग्नक– उपरोक्त प्रस्ताव 04 अदद।

भवदीय,

(डा0 प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर